v/;k; & 1
jkT; foRr vk;kx dk xBu ,o Hkfedk

1.1.0 पृष्ठ भूमि :

1.1.1 यद्यपि, स्वतंत्रता के पूर्व भी भारत में ***LFkkuh; fudk;k] xkeh.k ,o uxjh;*** दोनों का जाल बिछा हुआ था, किंतु वे स्व–शासन की इकाई के रुप में विकसित नहीं हो सके थे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप तथा स्थानीय संस्थाओं के पोषण एवं विकास के उद्देश्य से समय–समय पर नियुक्त समितियों एवं कार्यदलों की अनुशंसाओं के अनुसार अनेक कदम उठाये गये। इसके बावजूद वे अधिकारों, कर्तव्यों, कार्मिकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अपर्याप्त प्रत्यायोजन के कारण संविधान में संकल्पित स्व–शासन की विकेन्द्रित एवं स्व–शासी इकाइयों का स्तर प्राप्त नहीं कर सकें। नियमित समय अंतरालों पर चुनाव नहीं हो सके। बड़ी संख्या में स्थानीय संस्थायें लम्बे समय तक अधिग्रहित रहीं।

1.1.2 जहाँ, हमारे संविधान ने अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कर अंश–भागिता एवं सहायता अनुदान के माध्यम से ***dUnz l jkT;k dk lalk/kuk d vrj.k lc/kh vuq'klk*** करने के लिये ***foRr vk;kx d xBu*** का प्रावधान किया था, वहीं स्वतंत्रता के पश्चात् काफी लम्बे समय तक राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को संसाधनों के अंतरण संबंधी अनुशंसा करने के लिये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई थी। ***vr,o vuod lo/kkfud] lLFkkxr] dk;kRed ,o foRrh; dfe;k ,o lhekvk d dkj.k LFkkuh; fudk; viu dk;k ,o fodkl d ekeyk e ckf/kr FkA***

1.1.3 इन सीमाओं एवं कमियों को दूर करने तथा ***LFkkuh; fudk;k dk lo/kkfud LFkku nu]*** जिससे वे स्व–शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें, के उद्देश्य से ***1992 e Hkkjr ljdkj u lfo/kku e nk l'kk/ku iLrr fd;] ipk;rh jkt lc/kh 73ok l'kk/ku rFkk uxjikfydkvk lc/kh 74ok***

l'kks/kuA इन दो संशोधनों का विधिनियमित होना, **Hkkjr e LFkkuh; Lo'kklu d bfrgkl ,o fodkl e ehy dk iRFkj dgk tk ldrk gSA**

1.1.4 इन दो संशोधनों ने राज्य सरकारों के लिये अनिवार्य कर दिया, कि वे या तो अपने **iapk;rh jkt lLFkkvk ¼i-jk-lLFkkvk½** एवं **uxjh; LFkkuh; fudk; ¼u-LFkk-fudk;k½** संबंधी वर्तमान अधिनियमों में संशोधन अथवा नये अधिनियम पारित कर, उन्हें **XIoh ,o XIIoh vuqlfp;k** में निहित अपने संवैधानिक दायित्वों का वहन करने के लिये आवश्यक शक्तियाँ, अधिकार एवं वित्त प्रदान करें। इन दो संशोधनों ने **fodUnhdj.k ifØ;k ,o jktdk"kh; l?kokn** को, राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त संस्थागत ढाँचा निर्मित करने का प्रावधान करके एक नया आयाम जोड़ दिया। इस ढाँचे में प्रत्येक राज्य में **3 lLFkkvk** का निर्माण शामिल है, (1) **jkT; pquko vk;kx ¼jk-p-vk-½]** जो पांच वर्षों के नियमित अंतरालों पर स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे, (2) **jkT; foRr vk;kx ¼jk-fo-vk-½**, जिसका गठन प्रत्येक पांच वर्ष में हो तथा जो राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को राशियों का अंतरण करने संबंधी अनुशंसा करे एवं उन्हें अपने स्वयं के साधनों में वृद्धि करने हेतु उपाय सुझाये, (3) प्रत्येक जिले के स्तर पर एक **ftyk fu;kstu lfefr ¼ft-fu-l-½]** जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित योजनाओं को समन्वित एवं समायोजित करने का दायित्व निभायें। भारत के लगभग सभी राज्यों में इन तीनों संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी है तथा वे अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रही हैं, भले ही उनकी कुशलता एवं प्रभावशीलता के स्तर में अंतर हो।

1.2.0 छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग :

1.2.1 **vuqPNsn 243 (I) ,o 243 (Y) dh lokS/kkfud vis{kk** के अनुसरण में तत्कालीन **e/;izns'k jkT;]** जिसका **NRrhlx<** भी एक भाग था, ने **e/; izns'k jkT; foRr vk;kx vf/kfu;e** के अंतर्गत 1995 में **iFke jkT; foRr vk;kx** का गठन किया। आयोग ने जून 1999 में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, **,d i-jk-**

lLFkkvk rFkk nlJk u-LFkk-fudk;k d lc/k e तथा उनकी अनुशंसायें वर्ष ***1996 l 2001*** की अवधि के लिये थीं। मध्यप्रदेश में द्वितीय वित्त आयोग का गठन, जून 1999 में किया गया एवं उनके प्रतिवेदन दिसम्बर 2003 में प्रस्तुत किये गये। उनकी अनुशंसायें वर्ष ***2001 l 2006*** तक की अवधि के लिये थीं।

1.2.2 जब ***1 uoEcj] 2000*** को ***e/;in'k*** को विभाजित कर ***NRrhlx< dk xBu*** किया गया, तब अविभाजित ***e/;in'k*** में ***iFke jk-fo-vk-*** की अनुशंसायें लागू थीं। यद्यपि द्वितीय आयोग की स्थापना हो चुकी थी, परन्तु उस समय तक उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। ***u;k jkT; NRrhlx< d fy;s blds vfrfjDr vU; dkbl fodYi ugh Fkk] fd og iFke foRr vk;kx dh vu'kalkvk] ftUg d'r dk;okgh ifronu d vuqlkj e/; in'k ljdkj }kjk Lohdkj dj fy;k x;k Fkk] ij vk/kkfjr jktdk"kh; iDdt d vuqlkj LFkkuh; fudk;k dk foRrh; lgk;rk nuk tkjh j[k***। इस तथ्य के बावजूद, कि प्रथम वित्त आयोग की अनुशंसायें 1996–2001 की अवधि में लागू की जानी थी, ***NRrhlx< ljdkj u e/; in'k d iFke foRr vk;kx }kjk vu'kaflr jktdk"kh; iDdt dk mlh le; rd ykxw djrs jgu dk fu.kZ; fy;k] tc rd mudk Lo;a d jkT; foRr vk;kx dk ifronu ykxw djus gsrq miyC/k u gks tk;A***

1.2.3 नये राज्य छत्तीसगढ़ को, अपना ***Lo;a dk iFke jkT; foRr vk;kx*** गठित करने में कुछ समय लगा, क्योंकि जिस विधान के अन्दर उसका गठन होना था, वह 2003 में अधिनियमित किया गया। ***lfo/kkfud vuqPNn d ifjikyu ,o NRrhlx< jkT; foRr vk;kx vf/kfu;e] 2003 dh /kkjk&3 d vrxr jkT; ljdkj u 22 vxLr] 2003 dk tkjh vf/klwpuk ¼vuqyXud d- 1-1½ d vrxr iFke jkT; foRr vk;kx dk xBu fd;k]*** जसमें निम्नलिखित शामिल थे :

1) श्री टी.एस. सिंहदेव, अध्यक्ष

2) श्री पारस चोपड़ा, सदस्य,

3) डॉ. हनुमंत यादव, सचिव।

(राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14/7/2004 के द्वारा वित्त आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसके द्वारा ***Jh ohjUn ik.M dk v/;{k*** नियुक्त किया गया ***¼vuqyXud d- 1-2½*** तथा किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई।)

राज्य सरकार के नियोजन एवं वित्त विभाग के आदेश, दिनांक 27/8/2003 के अनुसार ***Mk- guqer ;kno*** राज्य योजना मण्डल के परामर्शदाता एवं ***jk-fo-vk- d lfpo*** दोनों के रूप में अपने कर्तव्यों का वहन करते रहेंगे। ***jk-fo-vk- dh vuq'kalk;a 2005&2010 dh ikp o"kk dh vof/k d fy;s gkxh]*** जो अवधि ***XIIoha fo-vk-*** के अधिनिर्णय अवधि के साथ–साथ होगी। ***vk;kx l 31 fnlEcj] 2004 rd viuk ifronu iLrr dju dh vi{kk dh xbZ Fkh]*** क्योंकि इस तारीख तक वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सका, इस अवधि को 31 दिसम्बर, 2005 तक के लिये बढ़ा दिया गया। ***;g vof/k iqu% 30 vily 2007 rd c<k nh x;h vkj iqu% 31 ebZ 2007 rd ¼vuqyXud d- 1-3 l 1-7½A*** डॉ. हनुमंत यादव (सचिव) का कार्यकाल दिसम्बर, 2006 को समाप्त होने पर ***Mk- lqykpuk gcykuh*** को ***lfpo*** का प्रभार सौंपा गया एवं ***Mk- guqer ;kno*** को वित्त आयोग का ***lykgdkj*** नियुक्त किया गया।

1.3.0 राज्य वित्त आयोग के विचारार्थ विषय :

1.3.1 ***jkT; foRr vk;kx d fopkjkFkZ fo"k; lca/kh jkT; ljdkj dh vf/klwpuk 27@9@2003 dks tkjh dh xbZ]*** जो दिनांक ***22@8@2003*** को आयोग के गठन संबंधी जारी अधिसूचना से पृथक थी। अधिसूचना के अनुसार, विचारार्थ विषयों को इस अध्याय के **vuqyXud d- 1-8** में दिया गया है। यह ***jk-fo-vk-*** का संवैधानिक दायित्व है। ये निम्नानुसार हैं :–

(i) उन सभी करों, शुल्कों, महसूल एवं फीस, जिन्हें राज्य लगाते हैं तथा जिनका विभाजन किया जा सकता है, से प्राप्त शुद्ध राशियों का ***jkT; ,o***

LFkkuh; fudk;ksa के बीच वितरण तथा ***lHkh Lrjksa ds LFkkuh; fudk;ksa*** के बीच इन राशियों के अंश–भाग को आबंटित करना,

(ii) उन करों, शुल्कों, महसूल एवं फीस, जिन्हें ***i-jk-laLFkkvksa*** एवं ***u-LFkk-fudk;ksa*** को आबंटित किया जा सकता है, का निर्धारण करना,

(iii) राज्य के संचित कोष से ***LFkkuh; fudk;ksa*** को सहायता अनुदान,

(iv) ***LFkkuh; fudk;ksa*** की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक उपाय,

(v) ***jkT; foRr*** की समीक्षा करना तथा ***vkn'kZd vk/kkj*** पर अगले पाँच वर्षों के लिये आय एवं व्यय के पूर्वानुमान तैयार करना,

(vi) ***i-jk-laLFkkvksa*** एवं ***u-LFkk-fudk;ksa*** के लिये पृथक–पृथक रूप से अगले पाँच वर्षो के लिये आदर्शक आधार पर उनके राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण के द्वारा स्थानीय निकायों के राजस्व–अंतराल का आकलन करना।

(vii) ***i-jk-laLFkkvksa*** तथा ***u-LFkk-fudk;ksa*** के लिये ***XIIoha foRr vk;ksx ¼fo-vk-½*** की सिफारिश।

1.3.2 ***jk-fo-vk-*** के विचारार्थ विषयों का अवलोकन स्पष्ट करता है, कि आयोग को ***jkT; ,oa LFkkuh; foRr*** को संपूर्ण रूप से उनके विविध स्वरूपों में अध्ययन करना है। अपनी अनुशंसायें देते समय आयोग अन्य बातों के अतिरिक्त उन सभी विषयों पर ध्यान देगा, जो अधिसूचना में दिये गये हैं।

1-4-0 jkT; foRr vk;ksx dh Hkwfedk %

1.4.1 ***jk-fo-vk-*** का गठन मात्र एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं है, वरन् वह एक ऐसी संस्था का गठन है, जिसे एक निश्चित भूमिका अदा करनी है। ***jk-fo-vk-*** की भूमिका प्रमुखतः उसके ***fopkjkFkZ fo"k;ksa ,oa lafo/kkfud vis{kkvksa*** से निर्धारित

होती है। ***lafo/kku ds vuqPNsn 243 ¼I½ ,oa 243 ¼Y½ ds vuqlkj jk-fo-vk- ls vis{kk dh xbZ gS] fd og jkT; ,oa LFkkuh; fudk;ksa ds chp jkT; }kjk yxk;s tkus okys djksa dh 'kq) izkfIr;ksa ds caVokjs ,oa foHkkftr iapk;rksa ,oa uxjh; fudk;ksa ds chp mudk vkoaVu] dfri; djksa dk lkSais tkus ,oa lgk;rk vuqnku] ds lEca/k esa vuq'kalk;sa izLrqr djsxkA vk;ksx ls jkT; ds LFkkuh; fudk;ksa dh foRrh; fLFkfr esa lq/kkj gsrq lq>ko Hkh vis{kr gSA***

1.4.2 रा.वि.आ. को, उनकी ***yEcor ,oa {kSfrt vlarqyuksa*** की समस्या पर ध्यान देकर स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों को संपुष्ट करने एवं उनमें वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उसे अगले पाँच वर्षों ***¼2005&06 ls 2009&10½*** के लिये उनके ***jktLo varjky*** का ***vkn'kZd vk/kkj*** पर आकलन कर स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं का सही आकलन करना होगा। उसे इस अंतराल को स्थानीय निकायों द्वारा अपने ***Lo;a ds lk/kuksa dk tqVkdj*** तथा ***jk-fo-vk- }kjk vuq'kaflr jktdks"kh; iSdst*** के माध्यम से पाटने के लिये उपाय भी सुझाने होंगे। फिर भी यदि कोई अंतराल रहता है, तो वह ***dsUnzh; foRr vk;ksx ¼ds-fo-vk-½*** द्वारा स्थानीय निकायों के साधनों के संपूरण हेतु अनुशंसित राज्यों के लिये राजकोषीय पैकेज का आधार हो सकेगा। इस प्रकार अंतराल के.वि.आ. के कार्य को सुगम बनायेगा। वर्तमान में रा.वि.आ. द्वारा उपलब्ध कराये गये ऐसे अनुमानों के अभाव में के.वि.आ. अपने अंतरण पैकेजों की अनुशंसा तदर्थ आधार पर करते रहे हैं। ***jktLo varjky dk vkdyu jk-fo-vk- dk ,d egRoiw.kZ dk;Z gSA***

1.4.3 ***XIosa*** एवं ***XIIosa foRr vk;ksxksa*** की शिकायत रही है, कि अधिकांश रा.वि.आ. अपनी भूमिका पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। अधिकांश राज्यों को अभी भी ***iztkrkaf=d fodsUnzhdj.k*** की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इस संस्था के महत्व को समझना शेष

है। यह के.वि.आ. के लिये अत्यन्त चिंता का विषय है, कि वह इनके प्रतिवेदनों को अपनी अनुशंसाओं के आधार के रूप में स्वीकार नहीं कर सका।

1.4.4 रा.वि.आ. को एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उसे ***jkT; foRr dk eY;kdu rFkk mldh iujpuk*** हेतु उपाय सुझाने हैं, साथ ही अगले पांच वर्षों के लिये उसे ***jkT; d jktLo ,o 0;; d iokueku*** तैयार करने हैं। ***foRr ik"kd ,tUlh dk jktdk"kh; LokLF;] LFkkuh; fudk;k dk lk/kuk d vrj.k d vkdkj dh nf"V l vR;Ur egRoi.k gA***

1.4.5 रा.वि.आ. को एक अन्य भूमिका निभानी है और वह है अनेक क्षेत्रों में अनुशंसायें करना जैसे– ***{kerk fuek.k] i'kkldh; l/kkj] LFkkuh; 'kklu d pu x; ifrfuf/k ,o dkfedk d chp lc/k] dfri; LFkkuh; uxjh; lokvk dh lkotfud&futh lk>nkjh] LFkkuh; fudk;k d dN dk;k dk futhdj.k] jktdk"kh; l/kkj] ftle y[k i.kkyh] ctV ifØ;k vkfn Hkh 'kkfey gk rFkk led vk/kkj ¼MkVk cl½ r;kj djukA*** इन सभी को ***^^jktdk"kh; idt l vkx^^*** में समाहित किया गया है।

1.4.6 ***jk-fo-vk***. की विस्तारित भूमिका ***jktdk"kh; l?kokn*** की प्रकृति एवं स्वभाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है, परन्तु ***LFkkuh; fudk;k d le{k mifLFkr leL;k; doy foRrh; ugh g] oju lLFkkxr] ljpukRed] i'kkldh; ,o jktufrd Hkh g] ftue l vf/kdk'k jkT; ljdkj d }kjk gh gy dh tkuh gkxhA***

vuyXud d- 1-1

vuyXud d- 1-2

vuyXud d- 1-3

vuyXud d- 14

vuyXud d- 15

vuqyXud d- 1-6

vuyXud d- 1-7

vuyXud d- 18